

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प0कः-13(1)राज-6/2000/9


जयपुर, दिनांक:- 2-6-09

अधिसूचना

राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (राजस्थान अधिनियम सं0 1 सन् 1964 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना सं0 प0 13(1)राज-6/2000/29 दि0 6.11.03 को अधिकमित करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ श्री रोहित कुमार सिंह, सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये साहूकार महापंजीयक नियुक्त करती है।


यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(नरेश कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय, राज0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
5. निबंधक, राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. श्री रोहित कुमार सिंह, सदस्य राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर को अधिसूचना का दि0.2.6.09 राजपत्र में प्रकाशन बाबत
9. साहूकार, महापंजीयक, राजस्थान, अजमेर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली

  
शासन/उप सचिव